कार्यालय नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी (नागौर)

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in फोन नं. 01586-220022
munibkcity@gmail.com 01586-221526

क्रमांक :– न.पा.कु. / 2021–22 / 1313 दिनांक :– 22.07.2021

टैगोर इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान,
आनन्दपुरा, कुचामन सिटी।

विषय :– अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 20.07.2021 को इस विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर बहुमंजिला निर्मित भवन में अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की स्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, आवेदक **टैगोर इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान, आनन्दपुरा, कुचामन सिटी** संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुए अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
2. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एक्सींग्युसर, एम.सी.पी. मय हुटर, फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रींकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुंचने हेतु व चारो तरफ घुमने व कार्य करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड एवं भवन एकीकृत विनियम–2020 के अनुरूप पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बालकॉनी का निर्माण निषेध होगा।
4. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
5. स्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा, इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के में जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्नहस्ताक्षरकर्ता से स्थाई अनापत्ति प्रमाण अनुसार भवन जो उपकरण लगाये करवाकर पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. भवन में धुंआ निकासी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
8. एकीकृत विनियम में वर्णित इस आशय के समस्त सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना भवन 2020 सुनिश्चित की जानी होगी।
9. यह अनापत्ति जारी करने की दिनांक से 10 वर्ष के लिए मान्य होगी, इस अवधि में प्रत्येक 06 माह में अग्निशमन अधिकारियों द्वारा भवन में लगाये गये अग्निशमन यन्त्रों का निरीक्षण किया जावेगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 सुसंगत के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

श्रवणराम
आयुक्त
नगरपालिका कुचामन सिटी

क्रमांक :–न.पा.कु. / 2021–22 /
दिनांक :–

प्रतिलिपि :–

1. J.En./सफाई निरीक्षक नगरपालिका कुचामन सिटी।

श्रवणराम
आयुक्त
नगरपालिका कुचामन सिटी